प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक:21 दिसम्बर, 2020**

विषयः- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-83 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-1400/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2020, दिनांक-07-12-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अन्य के अतिरिक्त अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित 19808 आवास निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 8013.68 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राजस्व प्राप्तियों एवं वित्तीय संसाधन के स्रोत सीमित होने के कारण आपके पूर्व प्रस्ताव दिनांक-27-05-2020 एवं दिनांक 15.07.2020 के क्रम में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में शासनादेश संख्या- 09/2020/287/38-4-2020-25(बजट)/2017, दिनांक 14.12.2020 द्वारा रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- आपके उपर्युक्त प्रस्ताव दिनांक 07.12.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रथम किश्त की अपेक्षित धनराशि में से अवशेष धनराशि **रू0 6013.68 लाख (रूपये साठ करोड़ तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-6/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018, शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017 दिनांक 04.02.2019 एवं शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123 (विविध)/2017-टीसी-1, दिनांक 28.06.2019 में विहित प्राविधानों के अधीन योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में व्यय की जायेगी।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(4) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार प्रश्नगत धनरशि का आहरण किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(9) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(10) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-मुख्य मंत्री आवास योजना(ग्रामीण)-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- यू0 ओ0- ई-2-922/X-2020, दिनाक- 18 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव ।

संख्या- 12/2020/515(1)/38-4-2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11. बजट अनुश्रवण प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 उ0 प्र0 शासन।
12. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।